



## E — भागीदारी एवं सहभागिता

# कॉलेज-आधारित नागरिक मंच (NSS / NCC / छात्र संघ)

### यह संस्थान क्या है

यह कोई अलग भवन नहीं है, बल्कि कॉलेजों के भीतर मौजूद मंचों का एक समूह है। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), छात्र संघ और MY Bharat स्वयंसेवा प्रकोष्ठ — ये कॉलेज जाने वाले युवाओं के लिए मुख्य नागरिक एवं नेतृत्व मंच हैं। NSS 01.04.2016 से 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना है (2015-16 तक यह केंद्र-प्रायोजित योजना थी)। NSS कॉलेज/विश्वविद्यालय तथा +2 (वरिष्ठ माध्यमिक) विद्यालय दोनों स्तरों पर संचालित होती है; +2 स्तर पर NSS प्रकोष्ठ राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में स्थित होता है। NCC रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन कार्य करती है। MY Bharat को अक्टूबर 2023 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया; MY Bharat (पूर्व में नेहरू युवा केंद्र संगठन / NYKS) के कार्य मई 2025 से औपचारिक रूप से MY Bharat ढाँचे में एकीकृत किए गए हैं और यह अब अनेक युवा स्वयंसेवा योजनाओं के लिए संचालन-रीढ़ के रूप में कार्य करता है। अनेक कॉलेज MY Bharat के गतिविधि केंद्र के रूप में पंजीकृत होते हैं, और मौजूदा NSS/NCC इकाइयाँ डिजिटल ट्रेकिंग एवं प्रमाण पत्रों के लिए पोर्टल से तेजी से जोड़ी जा रही हैं; MY Bharat पर NSS कार्यक्रम अधिकारी सामान्यतः अपने कॉलेज के विद्यार्थी पंजीकरणों एवं आयोजन-भागीदारी के लिए संस्थागत सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें अलग दौरे के रूप में नहीं, बल्कि कॉलेज दौरो के दौरान ही जाँचा जाना चाहिए।

### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप कॉलेज में हैं, तो NSS आपको सामुदायिक सेवा का अनुभव देती है, NCC सैन्य प्रशिक्षण तथा सरकारी भर्ती में मूल्यवान प्रमाण पत्र देती है, और MY Bharat आपको डिजिटल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयंसेवा के अवसरों से जोड़ती है। आपके लिए उपलब्ध नागरिक भागीदारी के मुख्य संरचित मंच यही हैं।

### प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
NSS दिशानिर्देश (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय)	2016-17 से 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना; सामुदायिक सेवा कार्यक्रम
राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम (एनसीसी), 1948 (संशोधित)	रक्षा मंत्रालय के अधीन युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण
लिंगदोह समिति सिफारिशें, 2006	लोकतांत्रिक छात्र संघ चुनावों के लिए UGC-अंगीकृत ढाँचा
MY Bharat अधिसूचना, 2023	स्वायत्त युवा भागीदारी निकाय; मई 2025 में NYKS एकीकृत

- **NSS:** MoYAS (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) → NSS निदेशालय (दिल्ली) → 15 क्षेत्रीय निदेशालय (क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में क्षेत्र कार्यालय) → राज्य सरकार के नामित विभाग में स्थित राज्य NSS अधिकारी (SNO) की अध्यक्षता वाला राज्य NSS प्रकोष्ठ → कार्यक्रम समन्वयक (PC) के साथ विश्वविद्यालय NSS प्रकोष्ठ → कार्यक्रम अधिकारी (संकाय सदस्य) द्वारा संचालित कॉलेज/संस्थान NSS इकाई। बड़े बहु-जिला विश्वविद्यालयों वाले राज्यों में, कार्यक्रम समन्वयकों को जिला समन्वयकों का सहयोग मिल सकता है। प्रत्येक इकाई: सामान्यतः 100 स्वयंसेवक। **स्व-वित्तपोषित इकाइयाँ (SFUs):** NSS पात्रता पूरी करने वाला कोई भी संस्थान अपने व्यय पर NSS इकाई स्थापित कर सकता है (नाममात्र शुल्क, CSR या अन्य वैध स्रोतों से); SFU इकाइयाँ शिविरों, पुरस्कारों एवं मान्यताओं के लिए वित्तपोषित इकाइयों के समान पात्र हैं। **कॉलेज NSS सलाहकार समिति** (प्रधानाचार्य अध्यक्ष; कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव; संकाय एवं विद्यार्थी प्रतिनिधि; शिविर योजनाओं एवं स्वयंसेवक गतिविधियों की समीक्षा करती है) — NSS मैनुअल के अनुसार।
- **NCC:** रक्षा मंत्रालय → NCC निदेशालय → ग्रुप मुख्यालय → कॉलेज NCC इकाई। एसोसिएट NCC अधिकारी (ANO, संकाय सदस्य) इकाई का प्रबंधन करते हैं। कैडेटों का आंतरिक पदानुक्रम: सीनियर अंडर ऑफिसर → अंडर ऑफिसर → जूनियर अंडर ऑफिसर → कैडेट।
- **छात्र संघ:** निर्वाचित या नामांकित छात्र निकाय, कॉलेज स्तर के संविधान या छात्र-नियमावली द्वारा शासित। लिंगदोह समिति मॉडल अपनाने वाले राज्य चुनावों के लिए निर्धारित आयु सीमा, व्यय सीमा एवं आचरण नियमों के साथ निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त करते हैं।
- **MY Bharat:** mybharat.gov.in. अनेक कॉलेज MY Bharat के गतिविधि केंद्र के रूप में पंजीकृत होते हैं; मेज़बान संस्थान सामान्यतः एक कैंपस समन्वयक नियुक्त करता है जो इसे जिला MY Bharat (पूर्व में NYK) कार्यालय से जोड़ता है।
- **वित्त-पोषण:** NSS पूरी तरह केंद्र-वित्तपोषित है; प्रति-स्वयंसेवक सहयोग (NSS संगठन पृष्ठ, फरवरी 2025 के अनुसार) नियमित गतिविधियों के लिए लगभग 400 रुपये प्रति वर्ष है, साथ ही विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए दो वर्षों में एक बार लगभग 700 रुपये प्रति स्वयंसेवक अतिरिक्त। NCC: रक्षा बजट। छात्र संघ: छोटा कॉलेज आवंटन। MY Bharat: कॉलेज स्तर पर अधिकांशतः बिना वित्त-पोषण।



## प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
NSS कार्यक्रम समन्वयक (PC)	विश्वविद्यालय स्तर पर संबद्ध कॉलेजों की सभी NSS इकाइयों का समन्वय करने वाले संकाय सदस्य; राज्य NSS अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। +2 स्तर पर PC राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (या समकक्ष) में स्थित होते हैं; जहाँ +2 NSS स्वयंसेवक संख्या 10,000 से अधिक हो वहाँ यह पद पूर्णकालिक होता है, अन्यथा अंशकालिक
NSS कार्यक्रम अधिकारी	इकाई स्तर पर सामुदायिक सेवा, शिविर एवं जागरूकता अभियानों का समन्वय करने वाले संकाय सदस्य
NCC एसोसिएट NCC अधिकारी (ANO)	NCC इकाई का प्रबंधन करने वाले संकाय सदस्य; साप्ताहिक परेड एवं प्रमाण पत्र परीक्षाएँ
छात्र संघ अध्यक्ष / सचिव	विद्यार्थी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित या नामांकित छात्र नेता
डीन छात्र कल्याण	समस्त पाठ्येतर एवं छात्र कल्याण गतिविधियों की देखरेख करने वाले संकाय सदस्य

## अनिवार्य सेवाएँ

- NSS: प्रति स्वयंसेवक प्रति वर्ष 120 घंटे की सामुदायिक सेवा; प्रति वर्ष किसी गाँव या शहरी क्षेत्र में 7-दिवसीय एक विशेष शिविर। गतिविधि क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की स्थिति में सुधार, उत्पादन-उन्मुख कार्यक्रम, तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं पुनर्वास
- NCC: सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन, राष्ट्रीय एकीकरण; साप्ताहिक परेड, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, तथा 'B' / 'C' प्रमाण पत्र परीक्षाएँ — सशस्त्र बलों एवं सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ
- छात्र संघ: विद्यार्थी हितों का प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रमों का आयोजन, शिकायतों पर प्रशासन के साथ संवाद
- MY Bharat: डिजिटल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयंसेवा के अवसर (रक्तदान, वृक्षारोपण, डिजिटल इंडिया अभियान)। MY Bharat इसके अतिरिक्त संरचित अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (ELPs) भी संचालित करता है — उद्योग, सरकार एवं NGOs के साथ अलग-अलग अवधि (सामान्यतः 15 से 30 दिन, 120 से 360 घंटे) के संक्षिप्त संलग्नक, जिनके डिजिटल प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाते हैं

## संबंधित योजनाएँ

- **NSS (केंद्रीय क्षेत्रक योजना)** — शिविर व्यय, स्वयंसेवक बीमा, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार
- **NCC** — वर्दी, शिविर व्यय, प्रशिक्षण उपकरण, भर्ती-वरीयता वाली प्रमाण पत्र परीक्षाएँ
- **MY Bharat** — डिजिटल स्वयंसेवा मंच, प्रमाण पत्र, तथा 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिविर

## पता कैसे लगाएँ

**पोर्टल:** mybharat.gov.in — जिले के अनुसार पंजीकृत गतिविधि केंद्र एवं कार्यक्रम; nss.gov.in/en/nss-directories-view — क्षेत्रीय निदेशालय के अनुसार संगठित सभी NSS इकाइयों की राज्य-वार PDF निर्देशिकाएँ

**अन्य:** जिले के किसी भी सरकारी डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक या विश्वविद्यालय का दौरा करें और NSS, NCC तथा छात्र संघ के बारे में पूछें

## प्रमुख सुविधाएँ

NSS एक छोटे कार्यालय कक्ष तथा गतिविधियों के लिए कॉलेज परिसर का उपयोग करती है। NCC को परेड मैदान (अक्सर कॉलेज का खेल मैदान) तथा वर्दी एवं उपकरणों के लिए भंडार-कक्ष चाहिए। छात्र संघ का निर्धारित कार्यालय कक्ष हो भी सकता है और नहीं भी। कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अधिक किसी समर्पित अवसंरचना की आवश्यकता नहीं है।



## एक क्रियाशील कॉलेज नागरिक मंच कैसा दिखता है

- कॉलेज में पिछले वर्ष आयोजित विशेष शिविर एवं प्रलेखित स्वयंसेवक भागीदारी के साथ एक सक्रिय NSS इकाई हो
- नामांकित कैडेटों एवं साप्ताहिक परेडों के साथ एक NCC इकाई संचालित हो
- पिछले 2 वर्षों में छात्र संघ चुनाव हुए हों, या एक नामांकित परिषद मौजूद एवं सुलभ हो
- विद्यार्थी MY Bharat पर पंजीकृत हों और मंच के बारे में जागरूक हों
- कॉलेज समय में विद्यार्थियों के लिए डीन छात्र कल्याण सुलभ हो

# E. आधारभूत समर्थक अवसंरचना

## शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु NSS कार्यक्रम अधिकारी (NSS), एसोसिएट NCC अधिकारी (NCC), या छात्र संघ अध्यक्ष / डीन छात्र कल्याण (संघ / MY Bharat) हैं। कॉलेज प्रधानाचार्य आंतरिक एस्केलेशन हैं।

**सेवा के बाद।** एस्केलेशन राज्य NSS प्रकोष्ठ, NCC निदेशालय / ग्रुप मुख्यालय, UGC (छात्र-संघ एवं लिंगदोह-अनुपालन मामलों के लिए), तथा NYKS / MY Bharat स्वायत्त निकाय तक होती है।

**बाहरी।** युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) ([pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) संचालित करता है। NSS-विशिष्ट शिकायतें [nss.gov.in](http://nss.gov.in) पर जाती हैं। NCC निदेशालय का एक समर्पित शिकायत चैनल है। MY Bharat की शिकायतें [mybharat.gov.in](http://mybharat.gov.in) के माध्यम से प्रसंस्कृत की जाती हैं। UGC छात्र-संघ निर्वाचन (लिंगदोह) शिकायतें [ugc.gov.in](http://ugc.gov.in) पर देखता है। राष्ट्रीय रैगिंग-विरोधी हेल्पलाइन (1800-180-5522) के पास NSS/NCC शिविरों में रैगिंग के मामलों पर अधिकार-क्षेत्र है।